न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 45/2026

श्री ईश्वरलाल चौहान निवासी अंबेडकर कॉलोनी वार्ड नं. 11 कुशलगढ जिला बांसवाडा पिन 327801

—–अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक —–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 01.06.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 28.12.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

सविनय निवेदन है कि में ईश्वरलाल चौहान, आपके कार्यालय से आपके कार्यकाल में निस्तारित ऐसे नवीनतम प्रकरण की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहता हूँ जिसमें किसी कर्मचारी द्वारा पूर्व में अवकाश स्वीकृत कराए बिना स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने लगभग तीन माह का अवकाश बाद में स्वीकृत नियमित (Leave Regalarization) किया गया हो।

उक्त प्रकरण से संबंधित निम्न अभिलेखों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का कष्ट करे

1 सक्षम अधिकारी द्वारा पारित अवकाश नियमितीकरण आदेश।

2. संबंधित Office Note-Sheet File Noting (प्रस्ताव, टिप्पणियाँ अनुमोदन)।

3. यदि उपलब्ध हो तो संबंधित पत्राचार/ अनुशंषा/स्पष्टीकरण।

मैं उक्त सूचना का उपयोग केवल सेवा संबंधी विषयों की वैधानिक एवं तथ्यात्मक जानकारी हेतु करूँगा। निवेदन है कि रिकॉर्ड अनुसार उपलब्ध सूचना/दस्तावेज नियमानुसार प्रदान किए जाएँ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 729 दिनांक 16.04.2026, 837 दिनांक 24.04.2026 व 980 दिनांक 08.05.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 163 दिनांक 11.05.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां काल्पनिक होने के कारण दिया जान संभव नही है। अपीलान्ट को उनके पत्र क्रमांक 162 दिनांक 11.05.2026 से सूचना के संबंध मे अवगत करवा दिया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

861